न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी एक्ट,अम्बेडकरनगर

UPAN010034802022

Civil Revision/42/2022

श्रीमती बैजन्ती सिंह आदि बनाम भोलानाथ आदि

19.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र 19क1 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 जा.दी., प्रार्थनापत्र 21ग2 अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर प्रार्थी व विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

प्रार्थनापत्र 19क1 प्रार्थी/अपीलार्थी धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या–12 विनोद प्रताप सिंह की मृत्यु दिनांक 31.05.2021 को हो गयी है। मृतक के विधिक वारिसान उनकी विधवा सुशीला,पुत्रगण राजकेश्वर व दूबर सिंह है। इनके अलावा मृतक विनोद प्रताप सिंह का कोई अन्य विधिक वारिस नहीं है। वाद चलाने का वाद हेतुक आज भी विद्यमान है इसलिए मृतक के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाना आवश्यक है। अतः मृतक विपक्षी संख्या–12 विनोद प्रताप सिंह के वारिसान उनकी विधवा सुशीला, पुत्रगण राजकेश्वर व दूबर सिंह को कायम मुकाम मानते हुए निगरानी मेमो में संशोधन करने की याचना की गयी।

प्रार्थनापत्र 21ग2 अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर प्रार्थी धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा यह कथन किया गया कि विपक्षी संख्या–12 विनोद प्रताप सिंह की मृत्यु दौरान अपील दिनांक 31.05.2021 को हो गयी है। प्रार्थी निगरानीकर्ता व मृतक विपक्षी संख्या–12 अलग–अलग जनपद के रहने वाले है जिससे प्रार्थी विपक्षी संख्या–12 के वारिसान की जानकारी नहीं कर पाया जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने अन्य विपक्षीगण से मृतक के वारिसानों के सम्बन्ध में जानकारी हेतु प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया था,परन्तु उनके द्वारा भी जानकारी नहीं दी गयी। प्रार्थी ने मृतक विपक्षी के ब्लाक पर जाकर उसके परिवार रजिस्टर की नकल हेतु आवेदन किया, जो दिनांक 16.12.2024 को प्रार्थी को प्राप्त हुआ जिससे प्रार्थी को मृतक विपक्षी संख्या–12 के वारिसान की जानकारी दिनांक 16.12.2024 को प्राप्त हुई और प्रार्थी बिना विलम्ब किये ही कायम मुकामी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने जानबूझकर कायम मुकामी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब नहीं किया है जो विलम्ब कारित हुआ है वह मृतक के वारिसानों की जानकारी न होने के कारण हुई है। अतः कायम मुकामी प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने की याचना की गयी।

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2025.02.20 12:36:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थनापत्र 21ग2 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रार्थनापत्र मृतक विपक्षी संख्या–12 की मृत्यु के उपरांत उसके कायम मुकामी प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु दिया गया है। प्रार्थी का कथन है कि मृतक के वारिसान की जानकारी नहीं हो सकी थी जिस कारण समय से कायम मुकामी प्रार्थनापत्र नहीं दिया जा सका। कथन शथपत्र से समर्थित है। आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 21ग2 स्वीकार किया जाता है। मृतक विपक्षी संख्या–12 विनोद प्रताप सिंह का कायम मुकामी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश
एससी/एसटी एक्ट
अम्बेडकरनगर।

प्रार्थनापत्र 19क1 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थनापत्र 19क1 विपक्षी संख्या–12 विनोद प्रताप सिंह की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान को प्रतिस्थापित करने हेतु दिया गया है। प्रस्तावित वारिसान पर नोटिस तामील है। प्रस्तावित वारिसान के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। कायम मुकामी प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जा चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19क1 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 19क1 स्वीकार किया जाता है। निगरानीकर्ता आवश्यक संशोधन अंदर सात दिन करे। पत्रावली दिनांक 01.03.2025 को वास्ते सुनवाई पेश हो।

विशेष न्यायाधीश
एससी/एसटी एक्ट
अम्बेडकरनगर